(225)

(332)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर की श्रृंखला
न्यायालय रीवा (म0प्र0)

प्र.क्रमांक R. 5491-दो/16

Rs.5 विलोपित / विलोपित

20रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 विलोपित / विलोपित

आवेदकगण की ओर से श्री रघुपति प्रसाद द्विवेदी एड. द्वारा प्रस्तुत 04-11-16 (हस्ताक्षर) 4-11-16

राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

1- रामपाल तनय श्यामलाल उम्री करीबन 35 बर्ष, पटेल,
2- भैरौलाल तनय श्यामलाल पटेल उम्री करीबन 25 बर्ष ।
3- रजन तनय श्यामलाल पटेल उम्री करीबन 29 बर्ष ।
4- राजेश तनय श्यामलाल पटेल उम्री करीबन 27 बर्ष ।
5- श्रीमती सुनीता पत्नी अवधेश पटेल उम्री करीबन 26 बर्ष ।

उपरोक्त समस्त का पेशा खेती निवासी सा0 बन्ना महतमान पो0आ0 पांती मिश्रान थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) - - - - - - - - - - - - - निगरानीकर्तागण/ आवेदकगण

बनाम

1- बृजकिशोर पटेल तनय बद्री प्रसाद पटेल उम्री करीबन 55 बर्ष ।
2- रामबदन पटेल तनय बद्री प्रसाद पटेल उम्री करीबन 50 बर्ष ।
3- श्रीनिवास तनय बद्री प्रसाद पटेल उम्री करीबन 45 बर्ष -

उपरोक्त समस्त का पेसा खेती अना0क्र0 एक निवासी सा0 तेलिहा महतमान पो0आ0 कैलासपुर थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) अना0क्रमांक दो नि0सा0 बन्ना महतमान पो0आ0 पांती मिश्रान थाना व तह0 हनुमना जिला रीवाम0प्र0 अना0क्रमांक 3 नि0सा0 पांती महतमान पो0आ0 पांतीमिश्रान थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा (म0प्र0)--- गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र विरूद्ध राजस्व प्र0क्र0/ 6/अ12/2014-015 में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय तहसीलदार तहसील हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-09-2016,

क्रमशः:2--

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

बिचारण न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 6/अ12/014-015 तथा कहीं"कहीं 6अ12/15-016 लिखा गया है । सन्दर्भित विवादित निर्णय दिनांक - 19-09-2016 पक्षकारों के नाम में सीमांकन आवेदन कर्ता बृजकिशोर पटेल अनावेदक क्रमांक एक है, तथा पैरवी कर्ता उसका भाई अना0क्रमांक 2 रामबदन पटेल है, निगरानीकर्ता गण रामपाल के माध्यम से - बिचारण न्यायालय में आपत्ति लगायें थे ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :--

1- यह कि बिद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 19-09-2016 अबैध, अनुचित, एवं अनियमित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

2- यह कि गैर निगरानी कर्ता क्रमांक एक बृजकिशोर नें माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम बन्ना महतमान में स्थित भूमि नं0 1079, 1080 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र लगाया था, उक्त भूमियों का सीमांकन विधिवत नही कियागया इसलिए निगरानी कर्तागण की आपत्ति एवं पूर्व में हुए सीमांकन बर्ष 1991-92 में पारित आदेश दिनांक 26-11-1992 जरिए प्रकरण क्रमांक 441/अ74/91-92 के प्रकाश में दिनांक 14-12-015 को उक्त सीमांकन प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया था तथा पुन: सीमांकन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अनावेदकगण नें अधीनस्थ न्यायालय से दुरभि संधि करके उक्त प्रकरण में उक्त निरस्त प्रतिवेदन को आलोच्य आदेश दिनांक 19-09-2016 के द्वारा पुष्ट करवा लिया गया है, जिसमें आवेदकगण यानी निगरानीतकर्ता गण को कोई सूचना नही दी गयी, उन्हें सुनवायी का अवसर नही दिया गया, अनावेदकगण नें बिद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट किया था जो उक्त आलोच्य आदेश के

4.11.16

(225)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 **5491-II / 2016** जिला–रीवा

रामपाल पटेल वगैरः / बृजकिशोर पटेल वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 06 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	